

कार्यालय : सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक : उ0वि0शि0प0/समन्वय-23/ 271-388 /2023-24,दिनांक 04 जुलाई, 2023।
विज्ञप्ति

सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की परिषदीय परीक्षा वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र को अग्रसारित करने तथा निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा करने की तिथियां निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र० सं०	विवरण	हाईस्कूल परीक्षा		इण्टरमीडिएट परीक्षा	
		संस्थागत	व्यक्तिगत	संस्थागत	व्यक्तिगत
1	परीक्षा शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रु० 200.00	रु० 600.00	रु० 350.00	रु० 700.00
2	अंकपत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	रु० 10.00	रु० 10.00	रु० 10.00	रु० 10.00
3	अग्रसारण शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	रु० 10.00	—	रु० 10.00
4	केवल एक विषय का शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	रु० 150.00	—	रु० 150.00
5	प्रवर्जन प्रमाण पत्र शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	—	रु० 50.00	रु० 50.00
6	विलम्ब शुल्क (प्रति परीक्षार्थी)	—	रु० 150.00	—	रु० 150.00
7	निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई 2023	14 अगस्त 2023	31 जुलाई 2023	14 अगस्त 2023
8	विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने की अन्तिम तिथि	—	24 अगस्त 2023	—	24 अगस्त 2023
9	खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	14 अगस्त 2023	28 अगस्त 2023	14 अगस्त 2023	28 अगस्त 2023
10	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	17 अगस्त 2023	30 अगस्त 2023	17 अगस्त 2023	30 अगस्त 2023
11	मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा परिषद् कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अन्तिम तिथि	20 अगस्त 2023	04 सितम्बर 2023	20 अगस्त 2023	04 सितम्बर 2023

भवदीय,

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)। ५०९

पृ०सं०:
प्रतिलिपि

उ0वि0शि0प0/समन्वय-23/271-388/2023-24, दिनांक उक्तवत।

निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभापति उ0वि0शि0प0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक (मा0शि0) गढवाल मण्डल पौड़ी एवं कुमायू मण्डल नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, माध्यमिक विद्यालय उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी।
7. सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं उत्तर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि यह विज्ञप्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड से सम्बन्धित व्यापक लोक महत्व की सूचना है। अतः अपने लोक प्रिय समाचार पत्र में इस सूचना को उत्तराखण्ड संस्करण में प्रमुखता से जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. सूचना सम्प्रेषण अनुभाग को इस आशय से प्रेषित की परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)। ५०९